<u>लोक सुनवाई का वृत।</u>

<u>मेसर्स हंस ईंधन केन्द्र, प्रस्तावकः राजू राज, बरदाहा, पोस्ट–मंझौली, थाना–सिरदला, जिला–नवादा (सकरी नदी स्थितः ब्लॉक–06 (मिल्की/चिलौंगिया), ग्राम–मिल्की, ब्लॉक– वारिसलीगंज, जिला–नवादा) का नवादा जिला अन्तर्गत बालू खनन परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् दिनांक 10.09.2023 को अपराह्न 01:00 बजे अंचल कार्यालय, वारिसलीगंज, जिला–नवादा के प्रागंण में लोक सुनवाई की गयी।</u>

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सिम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत TOR File. No. SIA/1(a)/2340/2023, dated 06.04.2023 के आलोक में श्री उज्ज्वल कुमार सिंह, अपर समाहर्ता, (जिला पदाधिकारी, नवादा के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दिनांक 10.09.2023 को अपराह्न 01:00 बजे अंचल कार्यालय, वारिसलीगंज, जिला–नवादा में लोक–सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (**अनुलग्नक–1**)

इस लोक–सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा दैनिक भास्कर एवं हिन्दुस्तान के माध्यम से दिनांक 08.08.2023 को प्रकाशित की गयी थी (**प्रतिलिपि संलग्न**)। लोक–सुनवाई के दौरान श्री मनोरंजन कुमार सिंह, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, गया द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित जन–समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सिम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई की पृष्ठ–भूमि पर प्रकाश डाला गया।

क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा सकरी नदी स्थितः ब्लॉक–06 (मिल्की/चिलौंगिया), ग्राम–मिल्की, ब्लॉक–वारिसलीगंज, जिला–नवादा के लेसी प्रतिनिधि को मंच के समीप आकर अपना परिचय देने के लिए कहा गया। तद्नुसार लेसी प्रतिनिधि के द्वारा अपना परिचय लोक सुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावों को दिया गया।

अपर समाहर्ता महोदय द्वारा लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उदेश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव माँगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरण सलाहकार श्री वृजकिशोर मिश्रा ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी (Corporate Social Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा साथ ही वाहनों पर ओवरलोडिंग नही की जायेगी एवं वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भूजल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा। परियोजना प्रस्तुततिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवतः हैः–

कमांक	नाम एवं पता	प्रतिकिया/सुझाव
1.	श्री रहिश यादव, पताः चिलौंगिया, जिलाः नवादा।	इनके द्वारा कहा गया कि बालू घाट से प्रदूषण की समस्या है एवं ग्रामीण महिलाऍ को शौच जाने के समय बालू घाट पर काफी शोरगुल मचाया जाता है। इनके द्वारा इसकी शिकायत करते हुये घाट न चालू करने की मॉग की गयी।
2.	श्री विजय यादव, पिताः स्व0 गजाधर यादव, पताः मिल्की, जिलाः नवादा।	इनके द्वारा बताया गया कि घाट बहुत ही संकीर्ण जगह पर है जिससे ट्रैफिक एवं ग्रामीण के आवागन में बहुत तकलीफ होती है साथ यह भी बताया गया कि पूर्व में हो बालू उत्खनन के दौरान 20 फीट से ज्यादा बालू उत्खनन किया गया है, जिससे बालू घाट में बालू नही है; कि शिकायत करते हुये घाट न चालू करने की मॉग की गयी।
3.	श्री वृजकिशोर यादव, पताः जमुवाहा, जिलाः नवादा।	इनके द्वारा बताया गया कि पूर्व में हुये उत्खनन के दौरान बहुत ही ज्यादा वायु प्रदूषण की समस्या थी, नदी का पैन लेवल भी बराबर नही रहा है, बालू का उठाव काफी ज्यादा कर लिया गया है जिससे कही कही पर बहुत सारे गढ़ढे हो गये है, ग्रामीण के सिचाई करने हेतु मात्र एक नदी ही साधन है जो नहर से जुड़ा हुआ है; कि शिकायत करते हुये घाट न चालू करने की मॉग की गयी।

4.	श्री रौशन कुमार, पिताः स्व0 परलोक प्रसाद, पताः पौरा, जिलाः नवादा।	इनके द्वारा बताया गया कि घाट से बालू निकालने में बहुत दिक्कत है तथा प्रदूषण की समस्या भी बहुत ज्यादा है। साथ ही बालू का उठाव बहुत ज्यादा कर लिया गया है; कि शिकायत करते हुये घाट न चालू करने की मॉग की गयी।
5.	श्री उपेन्द्र कुमार, पिताः स्व0 राम स्वरूप प्रसाद, पताः चिलौगिया, जिलाः नवादा।	इनके द्वारा सीधे बालू घाट न चालू करने की मॉग की गयी।
6.	श्री नागेन्द्र सिंह, पिताः स्व0 लखन सिंह, पताः बेरमी, जिलाः नवादा।	इनके द्वारा बताया गया कि बालू घाट में काफी बालू का उठाव हो गया है, जिससे पिछले साल लगभग 05 व्यक्तियों की मौत हो गयी है; कि शिकायत करते हुये घाट न चालू करने की मॉग की गयी।
7.	श्री गौरव कुमार, पिताः श्री उमेश यादव, पताः भीम बिगहा, अंचल+थानाः नरहट, जिलाः नवादा।	इनके द्वारा भी बताया गया कि बालू का अवैध खनन किया जाता है जिससे गढ़ढा हो जाने के कारण पिछले साल 05 व्यक्तियों की मौत हो गयी है। साथ ही सड़क भी खराब हो गया है। इसे रोका जाय।
8.	श्री प्रतीक कुमार, पिताः शैलेन्द्र कुमार, पताः हरिहा बिगहॉ, जिलाः नवादा।	इनके द्वारा बताया गया कि बालू परिचालन के दौरान ट्रैक्टर काफी अनियंत्रित तरीके से चालाया जाता है, जिससे दुधर्टना की संभावना बनी रहती है; कि शिकायत करते हुये घाट न चालू करने की मॉग की गयी।
9.	श्री विपिन कुमार, पताः चिलौगिया, जिलाः नवादा।	इनके द्वारा भी बताया गया कि बालू घाट में काफी बालू का उठाव हो गया है, जिससे पिछले साल लगभग 05 व्यक्तियों की मौत हो गयी है साथ ही प्रदूषण की समस्या; कि शिकायत करते हुये घाट न चालू करने की मॉग की गयी।

10.	श्री मिथलेश कुमार, पताः मिल्की, जिलाः नवादा।	इनके द्वारा बताया गया कि पूर्व में हुये उत्खनन के कारण पानी की समस्या हो गयी है और कही कही पर बहुत सारे गढ़ढे हो गये है, जिससे ग्रामीण को सिचाई करने में काफी समस्या हो रही है; कि शिकायत करते हुये घाट न चालू करने की मॉग की गयी।
11.	श्री कुलदीप यादव, पताः जमुआवा, पो0+थानाः कादिरगंज, जिलाः नवादा।	इनके द्वारा बताया गया कि सकरी नदी से पईन जुड़े हुए है। नदी में खनन के कारण अधिक गहराई का 3–4 गढ़ढा हो गया है। इस वर्ष वर्षा कम हुई है, जिस कारण पईन में पानी नहीं है। इसका ध्यान रखा जाय तथा शमशान घाट, मंदिर, मस्जिद एवं पुल के पास बालु का खनन की अनुमति नही दी जाय।
12.	लोक सुनवाई में उपस्थित समस्त स्थानीय निवासीयों द्वारा एक स्वर में कहा गया कि इस बालू घाट में बालू नहीं है। इस घाट पर पूर्व में बहुत ज्यादा बालू का उठाव हो गया है, जिससे कही कही पर नदी में गढ़ढे हो गये है, जिससे ग्रामीणो के बच्चे एवं मवेशियों के डुबने का डर बना रहता है। साथ ही इस बालू घाट को चालू नहीं करने की मॉग की गयी।	

जन–सुनवाई के दौरान परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर मंतव्य की मॉग की गई। इनके द्वारा घाट चालू करने की स्वीकृति दिये जाने का अनुरोध किया गया एवं साथ ही यह भी कहा गया कि उठाये गये जन समस्याओ का निस्तारण मेरे द्वारा करने का हर संभव प्रयास किया जायेगा।

जन–सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सर्वसम्मति से अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु सक्षम प्राधिकार को भेजने का निर्णय लिया गया।

क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्षद्, गया

अपर समाहर्त्ता,
नवादा

उपस्थिति सूची

मेसर्स हंस ईंधन केन्द्र, प्रस्तावकः राजू राज, बरदाहा, पोस्ट–मंझौली, थाना–सिरदला, जिला–नवादा द्वारा सकरी नदी स्थितः ब्लॉक–06 (मिल्की / चिलौंगिया), ग्राम–मिल्की, ब्लॉक–वारिसलीगंज, जिला–नवादा का प्रस्तावित बालू खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांकः 10.09.2023 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में अंचल कार्यालय, वारिसलीगंज, जिला–नवादा में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित महानुभावों की सूचीः

क्र0सं0	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	Ujjwal Kr. Singh	ABM NAWADA	[signature] 10/9/23
2.	Manoranjan Kr Singh	R.O, B.S.P.C.Bd Gaya	[signature] 10.9.23
3.	MUKESH KUMAR	DMO, Nawada	[signature] 10/9/23
	ROHIT KUMAR	RO, Warisaliganj	[signature] 10/09/23
4.	Brijkishor mishra	Corginance Research ABP noida	Patna
5.	राजु राज	संवेदक हंस ईंधन केन्द्र	हंस राजु राज
6.	संतोष यादव नकुलदेव यादव	लोहरपुरा	संतोष 8229098154
7.	कारु यादव जेहन यादव	दरियापुर 9955283706	कारु यादव
8.	अर्जुन यादव स्व० जागुन सिंह	मिल्की 8670282432	अर्जुन यादव
9.	शिवनन्दन प्रसाद (स्व०- लेलर यादव)	दरियापुर शेखपुरा 9934723026	शिवनन्दन प्रसाद

10.	ललन यादव	हरियापुर 9955964056	ललन यादव
11.	बिन्दुदेव यादव	मिल्की 6201419676	बिन्दुदेव यादव
12.	मिथलेश कुमार	मिल्की 9934723026	[illegible]
13.	नरेन्द्र यादव मुकेश कुमार	शेखपुरवा मिल्की 9955774785	नरेन्द्र यादव
14.	कन्हैया कुमार पित	शेखपुरवा	कु. कन्हैया
15.	मुकेश कुमार पिता - मिश्री यादव	चिलोढ़िया, नवादा	[thumb impression]
16.	राजकमल कुमार	शेखपुरवा ~~हरियापुर~~	राजकमल कुमार
17.	प्रदीप कुमार	मिल्की,	प्रदीप कु०
18.	गोलु यादव	मिल्की	Golu yadav
19.	बिक्रम कुमार	चिलोंगिया	Vikram Kr
20.	नीलेश कुमार	चिलोंगिया	Nilesh Kr

21.	रविश कुमार	चिल्लौंगीय	रविश कुमार
22.	पंकज कुमार	चिलोंगीया	Pankaj Kumar 9973402045
23.	बन्टी कुमार	मिलकी 9199888192	Bantee
24.	गौरीलाल यादव	मिल्की 6203955765	गौरीलाल यादव
25.	सोनू कुमार [illegible] कुमार	मिल्की 9961546299	Sonu Kumar
26.	पवन कुमार	मसुइयाटाड़ 9110064864	Pawan
27.	नितिश कुमार	मसुइयाटांड़ 7762808252	नितिश कुमार
28.	अजीत कुमार	शेरतमपुर 9523688268	अजीत कुमार
29.	राम बली प्र. गंगा यादव	मिलनी पुरा	रामबली प्र.
30.	कारु यादव	पौरा	कारु यादव
31.	कमलेश यादव बाढो यादव	मिल्की	कमलेश यादव

32.	विजय यादव S/o गजाधर यादव	पिलखी दहियापुर	[illegible]
33.	भोला कुमार	पीलखी	भोला कुमार
34.	प्रमोद कुमार	पिलखी	प्रमोद कुमार
35.	विपिन कुमार	पिलौंजिया	विपिन कुमार
36.	नागो सिंह	पिलौंजिया	नागो सिंह
37.	जितेन्द्र कुमार	पिलौंजिया	जितेन्द्र कुमार
38.	गौरी कुमार	पिलखी	गौरी कुमार
39.	नूनू यादव	पिलखी	नूनू यादव
40.	मुकेश कुमार	पिलखी	मुकेश कुमार
41.	उपेन्द्र कुमार	पिलौंगीया	उपेन्द्र कुमार
42.	पितीश कुमार	पिलौंजिया	पितीश कुमार

43.	रविन्द्र यादव	[illegible]	रविन्द्र यादव
44.	कौशल कुमार	मीलकी	कौशल कुमार
45.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
46.	chandan [illegible]	[illegible]	chandan yadav
47.	Sonu kumar	मिरकी	Sonu [illegible]
48.	Sandeep kr	रवानापुर	Sandeep
49.	Akhilesh Kumar	[illegible]	Akhilesh kumar
50.	Subhash Vijay Yadav	मिरकी	Subh